भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3273

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

स्वनिधि योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थी

3273. श्री नवसकनी के.:

श्री जी. सेल्वम:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने वाली कुल महिला पथ-विक्रेताओं की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग पथ-विक्रेताओं के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन या छूट शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की गई ब्याज सब्सिडी का ब्यौरा क्या है;

(ड.) डिजिटल लेनदेन के लिए कैशबैक प्रोत्साहन से लाभान्वित पथ-विक्रेताओं की संख्या कितनी है;

(च) उक्त योजना के अंतर्गत पथ-विजेताओं में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(छ) उक्त योजना का पथ-विक्रेताओं की आय के स्तर और आर्थिक स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ज) क्या सरकार का विचार उक्त योजना का विस्तार कर इसमें अधिक ऋण राशि अथवा अतिरिक्त लाभ शामिल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) पीएम स्वनिधि पोर्टल के अनुसार, 12.03.2025 तक तमिलनाडु में कुल 2,73,576 महिला पथ विक्रेताओं ने प्रधान मंत्री पथ विक्रेता आत्म निर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत लाभ उठाया है।

(ख) और (ग) पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 01 जून, 2020 को की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के उन पथ विक्रेताओं को बिना किसी जमानत के कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना था, जिनका व्यवसाय लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इस योजना को सभी श्रेणियों के पथ विक्रेताओं को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, चाहे उनका धर्म, जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। कुल लाभार्थियों में से 45% (लगभग 30.97 लाख) महिला पथ विक्रेता हैं और 69% (लगभग 43.68 लाख) उपेक्षित समुदायों (ओबीसी, एससी और एसटी) से हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रदान की गई ब्याज सब्सिडी का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	लाभार्थी	ब्याज सब्सिडी (करोड़ रुपए में)
2021-22	75,070	2.95
2022-23	17,633	1.85
2023-24	2,00,284	5.75
2024-25 (12.03.2025 तक)	19,207	6.21

(ड.) जनवरी 2025 तक कुल 45.47 लाख पथ विक्रेता डिजिटल रूप से सक्रिय हैं, जिन्होंने 444.55 करोड़ डिजिटल लेनदेन किए हैं, जिनका कुल लेन-देन 4,90,801 करोड़ रु. का है और डिजिटल लेनदेन के लिए कैशबैक के रूप में 164.77 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया गया है।

(च) सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रताओं के बीच डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए 4 जनवरी से 15 फरवरी, 2021 तक एक विशेष अभियान "मैं भी डिजिटल" चलाया गया । डिजिटल लेन-देन को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई से 15 अगस्त, 2021 तक "मैं

भी डिजिटल 2.0" चलाया गया। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने और प्रशिक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ साझेदारी की है। इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 09 सितंबर से 30 नवंबर, 2021 तक प्रायोगिक आधार पर "मैं भी डिजिटल 3.0" शुरू किया है, जिसके तहत 223 चयनित यूएलबी में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने और प्रशिक्षित करने के लिए 5 डीपीए (पेटीएम, फोनपे, भारतपे, ऐसवेयर, एमस्वाइप) का सहयोग लिया गया। 06 फरवरी, 2023 से प्रत्येक महीने के पहले सोमवार से डिजिटल ऑन-बोर्डिंग में तेजी लाने के लिए "मैं भी डिजिटल 4.0", एक सप्ताह का शिविर, साथ ही स्वनिधि से समृद्धि-शहर स्तर के अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। जनवरी, 2025 तक, लगभग 67% लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्रिय हैं।

(छ) इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा पीएम स्वनिधि योजना के तहत प्राप्त प्रभाव के आकलन के लिए दो मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं और प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

1. भारतीय बिजनेस स्कूल
    i. 95% विक्रेताओं को अपना पहला बैंक ऋण मिला, और 72% को अपना पहला व्यवसाय ऋण मिला।
    ii. पहले, विक्रेताओं के पास क्रेडिट स्कोर की कमी थी और वे अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भर थे।
    iii. आरंभिक ऋणों से 1,955 रुपये का औसत मासिक रिटर्न (वार्षिक 23,460 रुपये) प्राप्त हुआ।
    iv. 9% ऋण-से-आय अनुपात उच्च ऋण पात्रता को दर्शाता है
    v. 62% ने पंजीकरण कार्ड के साथ नियमित व्यवसाय में सुधार का अनुभव किया।
2. भारतीय स्टेट बैंक
    - वित्तीय प्रभाव
        i. पीएम स्वनिधि विश्व स्तर पर सबसे बड़े शहरी सूक्ष्म ऋण कार्यक्रमों में से एक है।
        ii. सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है और हाशिए पर रह रहे वर्गों के शहरी सूक्ष्म उद्यमियों को एकीकृत करता है।
        iii. ऋण संवितरण के बाद औसत डेबिट कार्ड खर्च में 50% की वृद्धि हुई।
        iv. निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं के सक्रिय व्ययकर्ता बनने की संभावना 61% है।

- व्यवहार पर प्रभाव
    i. पीएम स्वनिधि उधारकर्ताओं ने गैर-उधारकर्ताओं की तुलना में लगभग 1500 रुपये अधिक खर्च किए।
    ii. उधारकर्ताओं का खर्च उपभोक्तावादी साधनों की ओर स्थानांतरित हो गया, जबकि गैर-उधारकर्ताओं ने बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया।

(ज) प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना के विस्तार/पुनर्गठन का प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है जिसमें बढ़ा हुआ ऋण, 30,000 रुपये की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड और पथ विक्रेताओं का क्षमता निर्माण शामिल है।

*****